निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 06/अपील/18 तारिख दायरा: 10.01.2018

भंवरसिंह आ0 रतनसिंह जाति राजपूत बर्खास्त डीलर उचित मूल्य की दुकान सेमली हाट। हाल नि0 मनोहरथाना

बनाम

राज.सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी आदेश कमांकः अभियोजन/2017/2763 दिनांक 26.09.2017 जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

उपस्थितः— श्री बच्चूलाल अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

—: निर्णय :— दिनांकः 07.02.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश क्रमांकः अभियोजन/2017/2763 दिनांक 26.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । अपने अपील मेंमों में अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया गया है कि जिला रसद अधिकारी का आदेश कानून व न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध होने से निरस्तय यौग्य है, जिला रसद अधिकारी द्वारा शिकायत की विस्तृत जाचं किये बिना दोषी मान लिया गया जो कानूनी गलत है। जिन लोगों द्वारा शिकायत की गई है उन लोगों के बयान नही लिये गये है न अपीलान्ट को उनसे जिरह करने का मौका दिया है, लिखित शिकायत के आधार पर बगैर जांच किये आदेश पारित किया गया है अपीलान्ट की झूठी शिकायत की है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवाई है अन्यथा उसका विस्तृत जवाब दिया जाता। सामुहिक बयान का उल्लेख किया गया है लेकिन ये बयान किसके सामने लिये बयान लेने वाला कौन था यह कंही भी स्पष्ट नही है,सामुहिक बयान पर विश्वास किया जाना सही नही है। अपीलान्ट के जवाब पर कतई गौर नही फरमाया गया है न जवाब के कथनों की जांच की है आदेश एक तरफा है जो निरस्त योग्य है। अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि जिला रसद अधिकारी का आदेश कानून व न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध होने से निरस्तय यौग्य है, जिला रसद अधिकारी द्वारा शिकायत की विस्तृत जाचं किये बिना दोषी मान लिया गया जो कानूनी गलत है। जिन लोगों द्वारा शिकायत की गई है उन लोगों के बयान नही लिये गये है न अपीलान्ट को उनसे जिरह करने का मौका दिया है, लिखित शिकायत के आधार पर बगैर जांच किये आदेश पारित किया गया है अपीलान्ट की झूठी शिकायत की है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवाई है अन्यथा उसका विस्तृत जवाब दिया जाता। सामुहिक बयान का उल्लेख किया गया है लेकिन ये बयान किसके सामने लिये बयान लेने वाला कौन था यह कंही भी स्पष्ट नही है,सामुहिक बयान पर विश्वास किया जाना सही नही है। अपीलान्ट के जवाब पर कतई गौर नही फरमाया गया है न जवाब के कथनों की जांच की है आदेश एक तरफा है जो निरस्त योग्य है। अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत की जांच करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अघोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक मनोहरथाना से कराई गई जांच रिपोर्ट में ग्रामवासी चित्तोड़ा, सेमलीहाट, दुबलिया, जालमपुरा व खातीकापुरा के उपभोक्ताओं के सामूहिक बयान लिये गये व उन बयानों के आधार पर व उपभोक्ताओं के राशन कार्ड व पौस मशीन में असमानता दर्शित होने पर डीलर की अनियमितता के परिणाम स्वरूप अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। उक्तानुसार यह तो जाहिर है कि तत्समय सेमलीहाट । के उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितता किये जाने पर बाद जांच उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया पत्रावली में संलग्न कार्यालय टिप्पणी अनुसार उचित मूल्य दुकानदार सेमलीहाट। के डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त होने पर उक्त राशन डीलर की दुकान का अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत टोडरी जगन्नाथ । तहसील मनोहरथाना किया गया है जो अन्य पत्रावली में संलग्न ग्राम संभा की रिपोर्ट अनुसार 12 से 15 किलोमीटर दूर होना दर्शित है जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितता किया जाना तो जाहिर है किन्तु की गई अनियमितता के फलस्वरूप प्राधिकार पत्र तक निरस्त किये जाने के दण्ड के औचित्य बाबत प्रकरण में पुनः जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण वर्तमान परिपेक्ष्य में पुनः जाचं व निर्णय हेतु जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़